न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./35/2021/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
नारणाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी उचावड़ा (काश्मीर) तहसील शिव जिला बाड़मेर	1. आदूराम पुत्र खेमाराम 2. मेगाराम पुत्र खेमाराम 3. पनाराम पुत्र खेमाराम 4. श्रीमती सुगणीदेवी पत्नी खेमाराम 5. पदमाराम पुत्र रूगाराम गोद पुत्र भींयाराम 6. रामाराम पुत्र तुलछाराम गोद पुत्र जीवणाराम जाति जाट निवासी उचावड़ा (काश्मीर) तहसील शिव जिला बाड़मेर 7. मैनेजर, पी.एन.बी. शाखा उण्डू 8. तहसीलदार व उपपंजीयक, शिव

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 230/2015 बउनवान आदूराम वगैरा बनाम पदमाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बालाराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 18.02.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 593 रकबा 50.07 बीघा मौजा रामदेरिया पटवार मण्डल काश्मीर तहसील शिव जिला बाड़मेर का आया हुआ है जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 2/5 हिस्सा है तथा मौके पर मौखिक बंटवाडा किया हुआ है परन्तु राजस्व रेकर्ड अलग अलग हिस्से

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खुल्ले हुऐ नहीं है, जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है इसलिये वादी अपने हिस्से की घोषणा करवाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते है। इस कारण हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद तामिल अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर विधिवत रूप से अपीलांट से तामिल नहीं करवाया गया है तथा उतरदाता संख्या 01 से 04 द्वारा तामिल कुन्निदा से मिलीभगत करते हुए अपीलांट द्वारा सम्मन लेने से इंकार करने का बताकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया। अपीलांटस वादग्रस्त खेत में रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आनन फानन में निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का भी हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का निर्णित करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिन्दू कायम नहीं किये गये तथा न ही वादी या प्रतिवादी की साक्ष्य कमलबद्ध की गई है तथा बिना विवाद्यक बिन्दू कायम किये व साक्ष्य लिये ही अपीलाधीन वाद को निर्णित किया गया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई तथा राजस्व कर्मचारियों ने उतरदाता संख्या 1 से 4 के साथ मिलीभगत करते हुऐ वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1046/593 के एक दिशा में सड़क मार्ग निकलता है परन्तु अपीलांट को सड़क मार्ग से वंचित करखते हुए सड़क मार्ग से पूर्णतया वंचित कर दिया है जबकि सभी पक्षकारान को सड़क मार्ग पर उसके हिस्से अनुसार भूमि दिया जाना विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित किया गया वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई उसे तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को कोई नोटिस/सूचना नहीं दी गई तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किये बिना केवल मात्र पटवारी हल्का ने वादीगण के प्रभाव में आकर विधि विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो विधि के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत नहीं है। पत्रावली को कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत करने की सूचना/नोटिस अपीलांट को नहीं दी गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर निर्णय पारित करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांटस ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में एकपक्षीय पारित की गई। वर्तमान में अरसा 10–15 दिन पूर्व बरसात के मौसम के समय मौके पर उतरदातागण अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे तथा जबरन सड़क मार्ग से बेदखल करने की धमकी दी, जिस पर अपीलांट को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने आलोच्य निर्णय व डिक्री की नकलें प्राप्त की जिस पर अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी सद्भाविक रूप से जानकारी के अभाव में हुऐ विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर शुमार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांटस की धारा 05 म्याद अधिनियम क प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदु पर करने की बजाय गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना विधि सम्मत है। अतः अपीलांटस की अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर अपीलांटस की व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में एकतरफा पारित की गई। पत्रावली को कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत करने की सूचना/नोटिस अपीलांटस को नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि आदेशिका दिनांक 25.05.2016 के अनुसार तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। अंतिम डिक्री के लिए तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया। कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 21.06.2016 को तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है, जिसके अवलोकन से प्रकट है उक्त तकासमा रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 593 जो सड़क मार्ग से लगता है जबकि अपीलांटस को सड़क मार्ग पर उसके हिस्से अनुसार भूमि नहीं दी गई तथा जो हिस्सा अपीलांटस को दिया गया उसमें आने जाने हेतु रास्ते का प्रावधान भी नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में मौका कमिश्नर तहसीलदार शिव को नियुक्त किया गया जबकि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया तथा अपने अधिकार को आगे अपने से निम्न रैंक के कर्मचारियों को अपने पॉवर डेलिगेट किये। बंटवारे के मामले में तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना किया जाना आज्ञापक प्रावधान है जिसका पालन हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी षिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 230/2015 बउनवान आदूराम वगैरा बनाम पदमाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बाई मिटीस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अच्छे में से अच्छी एवं खराब में से खराब भूमि मौके पर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कब्जे काश्त को देख कर, तहसीललदार स्वयं मौके पर जाकर, सभी पक्षकारों को सूचित कर/ सुन कर समझा कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तत्पश्चात गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.03.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

18/2/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर